नलकूप खंड,हरदोई।

सूचना का अधिकार अधिनियम का समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन के संबंध में 16 बिन्दुओं की आख्या

क्रमांक	बिन्दु	उत्तर
1	2	3
1	अपने संगठन की विशिष्टियों, कृत्य और कर्तब्य	हरदोई खंड,मुख्य अभियंता नलकूप-मध्य सि0वि0उ0प्र0 लखनऊ के अन्तर्गत एवं अधीक्षण अभियंता नलकूप मण्डल लखनऊ के अधीन है, जोकि नलकूप खंड हरदोई सिंचाई विभाग का प्राचीनतम खंड है। खंड के अन्तर्गत नलकूपों की बन्द जल-वितरण का कार्य किया जाता है। उक्त कार्यो के सम्पादन हेतु इस खंड के अन्तर्गत 05 उपखंडीय कार्यालय कार्यशील है। इनमें प्रथम उपखंड व चतुर्थ उपखंड के कार्यालय का मुख्यालय हरदोई, द्वितीय उपखंड के कार्यालय का संचालन शाहाबाद, तृतीय उपखंड के कार्यालय का संचालन पिहानी एवं पंचम उपखंड के कार्यालय का संचालन बिलग्राम निश्चित हैं खंड के अधिकारी/कर्मचारी का वेतन भुगतान शासन द्वारा आवंटित बजट से होता है तथा ग्रेड के सापेक्ष वेतन आहरण वितरण अधिकारी शारदा नहर खंड हरदोई के माध्यम से कोषागार हरदोई से किया जा जाता है।
2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तब्य	
	1.अधिशासी अभियंता	खंड के अन्तर्गत उपखंड के समस्त कार्यो का नियंत्रण।
	2.सहायक अभियंता 1/2/3/4/5	उपखंड के अन्तर्गत आवंटित कार्यो का सम्पादन।
	3.उपराजस्व अधिकारी	मुख्यतः सींच सम्बन्धी कार्यो का सम्पादन।
	4.खंडीय लेखाधिकारी	वित्तीय हस्तपुस्तिका का खंड-6 के पैरा 48 में निहित मुख्यतः लेखाओं का संगहकर्ता तथा वाउचर्स इत्यादि की जांचकर्ता एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यो का सम्पादन।
	5.अवर अभियंता	कार्यस्थल पर कार्यो को मानकों एवं गुणवत्ता के साथ करना।
	6.अनुसचिवीय अधिष्ठान	कार्यालय की पत्रावालियों का सम्पादन एवं अभिलेखों का रख-रखाव।
	7.राजस्व अधिष्ठान	राजस्व संबंधी कार्यो का सम्पादन।
	8.ड्राइंग स्टाफ	ड्राइंग संबंधी कार्यो का सम्पादन।
	9.चतुर्थ श्रेणी	अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन।
3	विनिश्चय करने की प्रकिया से पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	उपखंड में कराये गये कार्यो का निरीक्षण तथा कार्यो की गुणवत्ता को सुनिश्चित कर निराकरण करना।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित माप मान।	राजकीय नलकूपों द्वारा कृषकों को सिचांई उपलब्ध कराना एवं कृषकों की समस्याओं का समाधान करना तथा उपखंडीय अधिकारियों को कृषकों की समस्याओं का निराकरण हेतु निर्देशित कर निराकरण करना।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम,विनियमि,अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख।	विभाग में उ0प्र0 राज्य सरकार कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली लागू है। कार्यो के सम्पादन के लिये विभाग का मैनुअल है वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधान एवं शासन व प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता द्वारा जारी शासनादेशों/आदेशों का पालन करने हेतु अधीनस्थ उपखंडीय अधिकारियों को निर्देशित कर सुनिश्चित करना। कार्यो का सम्पादन सिचाई विभाग की विशिष्टियों एवं लागू निर्णय नियमों के अनुरूप कराया जाना एवं कार्यो के अभिलेखों का रख-रखाव नियमों के अनुसार किया जाना तथा अधीनस्थ सहायक अभियंताओं को तदानुसार निर्देशित करना।
6	ऐसे दस्तावेजों के जो उनके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण।	अभिलेखों का वर्गीकरण सिंचाई विभाग मैनुअल में निर्धारित अभिलेखों एवं वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं में किये गये प्राविधान के अनुसार कराया जाना है।
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति के संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	खंड के अन्तर्गत प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील स्तर पर तहसील दिवस तथा सिंचाई बन्धु समिति की बैठक प्रत्येक माह को आवंटित की जाती है, जिसके अन्तर्गत कृषकों के समस्याओं पर उनसे विचार-विमर्श के उपरान्त समस्या निस्तारण की जाती है।

8	ऐसे बोर्डो,परिषदों समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या इस बार में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है की क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठको के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।	जनपद स्तर पर गठित समितियों से संबंधित अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाता है।
9	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका।	कार्यालय दूरभाषः- 05852234341 नलकूप खंड हरदोई आवासीय दूरभाषः- 05852234358 नलकूप खंड हरदोई
10	अपने प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है	उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानों के आधार पर है।

पदनाम	वेतनमान	पदनाम	वेतनमान
अधिशासी अभियंता	15000-39100	नलकप चालक	5200-20200
सहायक अभियंता	15000-39100	नलकूप सहायक	5200-20200
अवर अभियंता	9300-34800	चपरासी	4400-7440
लेखाधिकारी	9300-34800	धावक	4400-7440
मुख्य लिपिक	9300-34800	चौकीदार	4400-7440
वरिष्ठ सहायक	9300-34800	वर्कन्दाज	4400-7440
वरिष्ठ लिपिक	9300-34800	हेल्पर	4400-7440
आशुलिपिक	9300-34800	बेलदार	4400-7440
प्रारूपकार	5200-20200	मेट	4400-7440
जिलेदार	5200-20200	वाटरमैन	4400-7440
हेडमुंशी	5200-20200	स्टोरअटेन्डेंट	4400-7440
मुंशी	5200-20200		
सींचपर्यवेक्षक	5200-20200		
भण्डार पाल	5200-20200		
कनिष्ठ लिपिक	5200-20200		
वाहन चालक	5200-20200		
नलकूप मिस्त्री	5200-20200		
सहायक सर्वेयर	5200-20200		
अनुरेखक	5200-20200		

11	सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविवरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभीकरण को आवंटित बजट।	अनुदान संख्या 95 के अन्तर्गत वेतन महंगाई भत्ता अन्य भत्ता, यात्रा भत्ता,कार्यालय व्यय,विद्युत,दूरभाष, कार्यो का अनुरक्षण आदि विभिन्न मदों में प्रमुख अभियंता के कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक द्वारा बजट आवंटित होता है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्राहृयों के ब्यौरे सम्मिलित है।	इस तरह से कोई व्यवस्था विभाग में नही है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायती, अनुज्ञा-पत्रों या प्राधिकारो के प्राप्तिकताओं की विष्टियां।	तदैव
14	किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उलब्ध हो या उसके धारित हो।	विभाग में कम्प्यूटर,फैक्स उपलब्ध है। **LAN SWICH** खराब होने के कारण इन्टरनेट चालू नही है।

15	सूचना अभिप्राप्त करन के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टिया, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षक्षित है तो, कार्यकरण घण्टे सम्मिलित है।	भारत का कोई भी नागरिक वांछित सूचना कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में नियमानुसार प्राप्त कर सकता है।
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टिया।	सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत जनपद हरदोई नलकूप खंड हरदोई हेतु जन सूचना अधिकारी नामित है, जो निम्नवत् हैः- (1) श्री किशन लाल वर्मा — अधिशासी अभियंता अपीलीय अधिकारी नलकूप खंड,हरदोई। (2) श्री गंगाराम गौतम — सहायक अभियंता-प्रथम सहायक जन सूचना अधिकारी नलकूप खंड,हरदोई।

अधिशासी अभियंता
नलकूप खंड,हरदोई।